न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 44/2023

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अनवान

वादीनी –	1.उमीदेवी पत्नि रेखाराम, जाति जाट, निवासी इटादिया तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –	1.उतमदान 2.भेरदान 3.मोटूदान 4.लीलदान पि.चोथदान 5.वलीया पत्नि चोथदान 6.नथू पत्नि खीमदान, जातियान चारण निवासी इटादिया, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर 7.तहसीलदार/उपपंजीयक धनाऊ

अधिवक्तागण –	वादीनी वकील –	**श्री जगदीश पोटलिया**
	प्रतिवादीगण वकील –	**एकतरफा**

सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
चौहटन

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act.

दिनांक :– 26.07.2024

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.04.2024 की पालना में तहसीलदार धनाऊ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली पेश हुई। वादीनी अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादीनी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय करते हुए डिक्री जारी की जावे।

Signature Not Verified

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया जिसके जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:17:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः न्यायाहित में तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार **मौजा इटादिया, पटवार क्षेत्र ईटादा, तहसील धनाऊ के खेत खसरा सं. 907/515 रकबा 08.0290 हैक्टयर के आये हुए है।** उक्त विवादित भूमि

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

...णी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान	वरंग
1	उमीदेवी पत्नि रेखाराम, जाति जाट, निवासी इटादिया	इटादिया	907/515	00.6691	——	——	गुलाबी
		योग	**1**	**00.6691**	——	——	**गुलाबी**
2	उतमदान पुत्र चोथदान 5/33, नथू पत्नि खीमदान 5/33, भेरदान पुत्र चौथदान 5/33, मोटूदान पुत्र चौथदान 28/154, लीलदान पुत्र चौथदान 28/154, वलिया पत्नि चोथदान 28/154 जातियान चारण	इटादिया	907/515	07.3599	——	——	—
		योग	**1**	**07.3599**	——	——	——

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:17:03 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर ,चौहटन

व इजलास **श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस.** मुकाम चौहटन

अनवान –

वादीनी –

1.उमीदेवी पत्नि रेखाराम, जाति जाट, निवासी [illegible]
तहसील धनाऊ, जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1.उतमदान 2.भेरदान 3.मोटूदान 4.[illegible]
5.वलीया पत्नि चोथदान 6.नथू पत्नि [illegible]
निवासी इटादिया, तहसील धनाऊ, जिला बाडमेर
7.तहसीलदार / उपपंजीयक धनाऊ

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 44 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय बहाजरी श्री जगदीश पोटलिया** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री** .... एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **इटादिया, पटवार क्षेत्र ईटादा, तहसील धनाऊ के खेत खसरा सं. 907 / 515 रकबा 08.0290 हैक्टयर** का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरे की भूमि सारणी में अंकित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ट पर .... बीज .... मबालिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राप्ती तक .... को अदा करे।

वसूल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.07.2024 को जारी की गई।

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा .... सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:17:03 IST
Reason: SelfAttested